

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2021/269

दिनांक : 11.2.2021

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. /प्रस्ताव/बाढ़/21/13670-78 दिनांक 20.10.21 द्वारा मानसून, 2021 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, चाकसू तथा सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सड़कें, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-दूदू, जयपुर
उपखण्ड - जयपुर

क्र. सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	टोंक बोर्डर से रसीली मोजमाबाद, बगरू, बेगस, लालपुरा, लूनियावास सड़क किमी 46/0 से 55/0	9.00
2	टोंक बोर्डर से रसीली मोजमाबाद, बगरू, बेगस, लालपुरा, लूनियावास सड़क किमी 56/0 से 62/0 एवं 64/500 से 66/0	7.50
3	सम्पर्क सड़क सारंग का बास किमी 0/0 से 0/850	0.51
4	बेगस से अजानचुकिया किमी 0/0 से 1/900	1.14
5	भम्भौरी से ढाणी इन्दोकिया किमी 0/0 से 3/500	2.10
6	धानक्या से सिवाड किमी 3/500 से 7/600	2.46
7	धानक्या फाटक से बसेडी वाया हरीतवालों की ढाणी निरोह चौराहा किमी 0/0 से 6/600	3.96
8	धानक्या फाटक से हरदेवा की चक्की मशानो की ढाणी किमी 0/0 से 2/500	1.50
9	धानक्या फाटक से केश्यावाला किमी 0/0 से 2/630	1.58
10	कालवाड से ढाणी मालीवाडा किमी 0/0 से 2/460	1.48
11	कंवर का बास से बडलाल की ढाणी किमी 0/0 से 1/600	0.96
12	कापडिया से गोविन्दा की ढाणी किमी 0/0 से 3/050	1.83
13	केश्यावाला से कानरपुरा किमी 0/0 से 2/630	1.58
14	माचवा सबरामपुरा भम्भौरी रामकुई पचार खेडी किमी 0/0 से 3/400 एवं 14/400 से 16/0	3.00
15	एम.डी.आर.-81 रामकुई बासडी से गुढा कुमावतान वाया गणेश यादव ठाकर फार्म किमी 0/0 से 2/0	1.20
16	मुण्डिया रामसर से केश्यावाला वाया एन.एन.-8 धानक्या चक रामसर किमी 2/0 से 6/200	2.52
17	एन.एन.-8 धानक्या सड़क से जयसिंहपुरा कांकरोदा वाया किशोरपुरा किमी 0/0 से 1/0	0.60
18	रघुनाथ जी का मंदिर, बेस से श्योधानजी बाबा की ढाणी किमी 0/0 से 5/900	3.54
19	रामकुई से मेहलों की ढाणी किमी 0/0 से 3/200	1.92
20	श्योसिंहपुरा से गुलरिया किमी 0/0 से 2/600	1.56
21	सम्पर्क सड़क निवारु किमी 0/0 से 0/870	0.52
22	बैनाड से ढाणी कॉलोनी बैनाड सड़क किमी 0/0 से 3/0	1.80
23	बेगस से सारण की ढाणी किमी 0/0 से 2/500	1.50
24	चक बासडी से चक सरणा डुंगर किमी 0/0 से 2/500	1.50
25	चक बासडी से ढाणी रेगरो की किमी 0/0 से 2/0	1.20
26	धर्मपुरा से जालोई वाया गजाधरपुरा किमी 0/0 से 3/500	2.10
27	गजाधरपुरा से संचोती किमी 0/0 से 1/100	0.66
28	झोटवाडा से सरणा चौड वाया निवारु किमी 10/200 से 18/0 किमी 0/0 से 7/800	4.68
29	कलवाडा से चारणवास किमी 0/0 से 4/210	2.53
30	निवारु से बोयतावाला किमी 0/0 से 2/500	1.50
31	निवारु से ढाणी फुल नगर की किमी 0/0 से 1/500	0.90
32	निवारु से ढाणी सुरज नगर की किमी 0/0 से 2/0	1.20
33	सरणा चोड से चक बोयतावाला किमी 0/0 से 2/0	1.20
34	सरणा डुंगर से बोरार्ड वाया बसेडी किमी 0/0 से 4/0	2.40
35	सरणा चोड पंचायत भवन से बालियों की ढाणी (नारी का बास) किमी 0/0 से 2/810	1.69

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

36	एस.एच.-2 सी किमी 12 से नारी का बास किमी 0/0 से 2/0	1.20
37	एस.एच.-2 सी किमी 14 से चम्पापुराकिमी 0/0 से 0/850	0.51
	कुल योग:-	77.03

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 9850 दिनांक 27.07.21, दिशा-निर्देश क्रमांक 9851-52 दि. 27.07.21 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
3. वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।



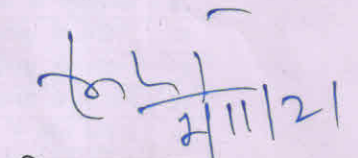
जिला कलेक्टर,
जयपुर

दिनांक : 11/2/21

क्रमांक/सम/ 2692-97

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम
5. तहसीलदार, जयपुर
6. विकास अधिकारी, पं.स., झोटवाडा
7. गार्ड पत्रावली।



जिला कलेक्टर,
जयपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ/मरम्मत/2021/2698

दिनांक : 11/11/2021

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव / बाढ / 21 / 13670-78 दिनांक 20.10.21 द्वारा मानसून, 2021 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, चाकसू तथा सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सड़कों, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंका सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-दूदू, जयपुर
उपखण्ड - सांभर

क्र. सं.	सड़क मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	बोराज बन्ध के बालाजी से फुलेरा वाया काचरोदा सड़क 10.00 से 12.00	1.20
2	सम्पर्क सड़क आकोदा से नरैना 0.00 से 5.00	3.00
3	श्योसिंहपुरा से खेडीराम 0.00 से 2.00	1.20
4	आईदान का बास से बस्सी झाझडा 0.00 से 4.00	2.40
5	आईदान का बास से गुढा कुमावतान 0.00 से 4.850	2.91
6	नरैना आकोदा सड़क से कन्दवली 0.00 से 3.00	1.80
7	आईदान का बास सड़क से रामपुरा 0.00 से 1.50	0.90
8	फुलेरा बिचून सड़क से बागपुरा 0.00 से 1.15	0.69
9	ढिण्डा से सुरसिंहपुरा 0.00 से 6.64	3.98
10	सामातो का बास से ढाणी नागा नगर 0.00 से 1.50	0.90
11	सामातो का बास से ढाणी बुखरो की 0.00 से 2.20	1.32
12	आसलपुर से ढाणी खातलियों की 0.00 से 2.40	1.44
13	आकोदा से हकल्लो की ढाणी 0.00 से 3.40	2.04
14	सामलपुरा से ढाणी भोपा की 0.00 से 1.00	0.60
15	रोजडी बस स्टेण्ड से मारवालो की ढाणी 0.00 से 4.80	2.88
16	खेडीराम से मन्ना बाबा की ढाणी 0.00 से 2.00	1.20
17	बोबास से तेजा मन्दिर 0.00 से 3.00	1.80
18	खेडी से आईदान का बास 0.00 से 1.430	0.86
19	फुलेरा जोबनेर सड़क से माल्यावास जमामाता मन्दिर 0.00 से 1.20	0.72
20	बोबास से गुढा कुमावतान 0.00 से 4.00	2.40
21	बोबास से आसलपुर 0.00 से 4.00	2.40
22	बोबास से बोबास रेलवे स्टेशन 0.00 से 4.50	2.70
23	सम्पर्क सड़क माजीपुरा 0.00 से 1.00	0.60
24	आसलपुर से जोडला खेडा 0.00 से 3.08	1.85
25	अप्रोच सड़क आसलपुर से ढाणी दम्बी वालो की 0.00 से 2.90	1.74
26	मोखमपुरा फुलेरा सड़क से दादुपालिका 0.00 से 4.80	2.88
27	रणसिंहपुरा भासिंहपुरा से भगवतपुरा सड़क 0.00 से 5.00	3.00
28	मोखमपुरा (एन.एच-08) फुलेरा सांभर सड़क 0.00 से 2.50	2.50
29	सम्पर्क सड़क नरैना 0/0 से 1/0	0.60
30	एस.-02 से शाकम्भरी माता 0/0 से 5/50	3.30
31	एस.-02 से शाकम्भरी माता 6/0 से 11/500	3.30
32	एस.-02 से शाकम्भरी माता 12/0 से 17/60	3.36
33	एस.-02 से शाकम्भरी माता 18/0 से 22/800	2.76
34	हबसपुरा से जावली सड़क 10/0 से 18/30	4.98
35	हबसपुरा से जावली सड़क 18/30 से 26/0	4.62

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

36	एस.एच-02 से हबसपुरा सडक 0/0 से 7/0	4.20
37	एस.एच-02 से हबसपुरा सडक 7/50 से 10/0	1.50
38	मरवा बिचून सडक से सोलावता 0/0 से 2/0	1.20
39	श्रीरामपुरा से मरुडा 0/0 से 4/480	2.69
40	नरैना सडक से मण्डपी 0/0 से 2/750	1.65
41	हबसपुरा सडक से सिंगला 0/0 से 3/150	1.89
42	हबसपुरा सडक से मिण्डकिया 0/0 से 1/600	0.96
43	काल्या से नागल सडक 0/0 से 7/0	4.20
44	सितारापुरा से मोरडी खुर्द 0/0 से 5/10	3.06
45	कोरसिना से छापरी सडक 0/0 से 7/950	4.77
46	मरुडा श्रीरामपुरा सडक से मुण्डिया तालाब वया बालाजी मन्दिर 0/0 से 3/0	1.80
47	सिंगला से खेडा 0/0 से 3/50	2.10
48	दूद नरैना से ढाणी चैयरमैन की 0/0 से 0/600	0.36
49	बरडोती से मुण्डिया तालाब 0/0 से 2/700	1.62
50	जावली मैन सडक से रैमण्ड गुजर की ढाणी वाया गोविन्दपुरा 0/0 से 4/200	2.52
51	ए.आर. सडक दोबडी 0/0 से 0/800	0.48
52	दूद नरैना से श्रीरामपुरा 0/0 से 4/0	2.40
53	हबसपुरा से रिग्गी 0/0 से 5/0	3.00
54	दौसा से कुचामन वाया लावण तुगा फागी सांभर सडक 141/500 से 144/900	3.40
55	दौसा से कुचामन वाया लावण तुगा फागी सांभर सडक 148/0 से 151/400	3.40
56	दौसा से कुचामन वाया लावण तुगा फागी सांभर सडक 151/600 से 152/800	1.20
	कुल योग:-	123.23

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेगें।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 9850 दिनांक 27.07.21, दिशा-निर्देश क्रमांक 9851-52 दि. 27.07.21 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेगें।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगें। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगें, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेगें।
3. वे सडकें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सडकें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगें कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगें, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।



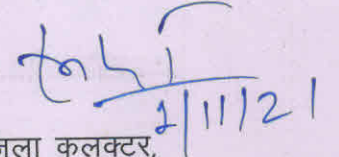
जिला कलेक्टर,
जयपुर

क्रमांक/सम/ 2699-2704

दिनांक : 1/11/2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी सांभर
5. तहसीलदार, सांभर
6. विकास अधिकारी, पं.स., सांभर/५६
7. गार्ड फ़ावली।



जिला कलेक्टर,
जयपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाद/मरम्मत/2021/2705

दिनांक : 11/2/22

प्रशासनिक स्वीकृति

संयुक्त शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ. 8(15)आ.प्र. एवं सहा. / प्रस्ताव/बाद/21/13670-78 दिनांक 20.10.21 द्वारा मानसून, 2021 के दौरान भारी वर्षा से जयपुर जिले के उपखण्ड शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- शाहपुरा, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड, चाकसू तथा सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सडकों, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, के अनुसरण में जयपुर जिले की तहसील शाहपुरा, दूदू, सांभर, जयपुर, चाकसू, फागी, सांगानेर, फुलेरा तथा चौमूं क्षेत्र की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा सहित प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मरम्मत कार्य करवाये जाने हैं। उक्त आदेशों की अनुपालना में नीचे अंकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड-दूदू, जयपुर

उपखण्ड - दूदू

क्र. सं.	सडक मरम्मत कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
1	गागरडू से कचनारिया वाया लापोडिया 0/0 से 9/730	5.84
2	रहलाना से बेनीखेडा 0/0 से 4/600	2.76
3	सेवा कल्याणपुरा सडक से नाचनीपुरा 0/0 से 1/400	0.84
4	अखेपुरा से महेशपुरा 0/0 से 3/600	2.16
5	पडासोली से केरिया बुजुर्ग 0/0 से 6/100	3.66
6	सेवा से सुनाडिया उरसेवा कचनारिया नगरी सडक 0/0 से 1/0 व 3/500 से 5/500	1.80
7	सेवा सुनाडिया सडक से खेडी चारणान 0/0 से 4/0	2.40
8	रामनगर से हरसोली 0/0 से 4/0	2.40
9	एन.एच-08 से बन्हे के बालाजी 0/0 से 2/0	1.20
10	एस.एच-02 से लोरडी 0/0 से 5/0	3.00
11	सावली से डेडू 0/0 से 3/0	1.80
12	गंगाती कलान से अन्नतपुरा 0/0 से 3/0	1.80
13	गाडोता से गंगाती कलान 6/0 से 8/0	1.20
14	नासनोदा से बोकनी 0/0 से 3/400	2.04
15	झाग से खटवाड 0/0 से 3/400	2.04
16	एम.डी.आर-81 से श्रीनिवासपुरा 0/0 से 1/50	0.90
17	सेवा कल्याणपुरा सडक से नाचनीपुरा वाया दयालपुरा 0/0 से 4/0	2.40
18	मोजमाबाद से ईदगाह 0/0 से 1/80	1.08
19	एस.एच-02 से बल्लू खों की ढाणी 0/0 से 5/0	3.00
20	एस.एच-02 से तुम्बीपुरा 0/0 से 5/0	3.00
21	एन.एच-08 से अखेपुरा 0/0 से 4/650	2.79
22	अखेपुरा से मानपुरा सडक 0/0 से 3/0	1.80
23	खटवाड से कसवा की ढाणी 0/0 से 3/0	1.80
24	कल्याणपुरा से फौजियों की ढाणी 0/0 से 2/50	1.50
25	टोंक जिला सीमा से रसीली मोजमाबाद बगरु, बेगस, लालपुरा, हिगोनिया, बागावास, लुनियावास सडक 0/400 से 3/500, 5/0 से 7/0, 10/0 से 11/0, 12/0 से 13/300	7.40
26	टोंक जिला सीमा से रसीली मोजमाबाद बगरु, बेगस, लालपुरा, हिगोनिया, बागावास, लुनियावास सडक 19/0 से 25/0, 28/0 से 28/500, 29/500 से 30/0	7.00
27	सम्पर्क सडक बिचून 0/0 से 1/0	0.60
28	बोराज बोबास सडक 0/0 से 3/0	1.80
29	बोराज बेगस सडक 0/0 से 5/500	3.30

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

30	सम्पर्क सडक पालू कलान 0/0 से 2/0	1.20
31	बिचून से बन्धे के बालाजी सडक 0/0 से 3/500	2.10
32	गाडोता से कापडियावास कलान 0/0 से 2/0	1.20
33	महला जोबनेर सडक केसरीसिंहपुरा 0/0 से 4/0	2.40
34	सम्पर्क सडक मोखमपुरा 0/0 से 1/050	0.63
35	सावरदा से मोरसर 0/0 से 4/600	2.76
36	सम्पर्क सडक गुरुदारा सावरदा 0/0 से 1/500	0.90
37	बिचून से नया वास 0/0 से 3/800	2.28
38	सुरपुरा से सरदारपुरा 0/0 से 4/650	2.79
39	सावरदा से कचनार 0/0 से 5/700	3.42
40	महला से चानचुकिया 0/0 से 3/050	1.83
41	बिचून से बासडा 0/0 से 3/250	1.95
42	कापडियावास कलान से कापडियावास खुर्द 0/0 से 2/930	1.76
43	गाडोता से सितारामपुरा 0/0 से 2/500	1.50
44	सावरदा से ढाणी नयागाँव की 0/0 से 7/0	4.20
45	केसर लाल बालोदिया की ढाणी कृषि फार्म से रामपुरा बडिया 0/0 से 2/0	1.20
46	बोराज बोबास सडक से सुरपुरा 0/0 से 1/650	0.99
47	आकोदा से कचनार 0/0 से 2/0	1.20
48	केसरीसिंहपुरा से आश्रम सडक 0/0 से 3/0	1.80
49	मोखमपुरा (एन.एच-08) फुलेरा सांभर सडक 0/0 से 4/0	4.00
50	सावरदा (एन.एच-08) से अजमेर वाया नरैना, मरवा, रूपणगढ, शेलेमाबाद 2/0 से 5/0	3.00
51	सावरदा (एन.एच-08) से अजमेर वाया नरैना, मरवा, रूपणगढ, शेलेमाबाद 5/0 से 9/0	4.00
52	ए.आर. से शेलेश्वर महादेव वाया एन.एच-08 0/0 से 4/700	2.82
53	ए.आर. से गैजी 0/0 से 1/500	0.90
54	साली से छिर सडक 0/0 से 3/50	2.10
55	मरवा बिचून सडक से निमली सडक 0/0 से 3/250	1.95
56	मरवा से अदरवा सडक 0/0 से 3/90	2.34
57	मालेडा से पिथ्यावास सडक 0/0 से 3/50	2.10
58	मरवा से पनवा कलान 0/0 से 3/430	2.06
59	एस.एच-02 से नारदपुरा सडक 0/0 से 1/500	0.90
60	मरुदा से सुरी सडक 0/0 से 4/500	2.70
61	साखुन नरैना सडक से झकरोल सडक 0/0 से 4/500	2.70
62	पडासोली साखुन साली से बुहारु सडक 0/0 से 2/0 व 6/0 से 8/0	2.40
63	पडासोली साखुन साली से बुहारु सडक 9/0 से 13/0 से 15/0 से 16/500	3.30
64	पडासोली साखुन साली से बुहारु सडक 20/500 से 24/500	2.40
65	साली से खाजपुरा 0/0 से 5/0	3.00
66	पिथ्यावास से नरैना सावरदा सडक तक 0/0 से 1/0	0.60
67	हटुपुरा से बोकडावास 0/0 से 3/0	1.80
68	दूदू नरैना सडक ढाणी बिजोलाव 0/0 से 0/700	0.42
69	नया गाँव से पडासोली साखुन सडक 0/0 से 0/750	0.45
70	बिजोलाव से नानण 0/0 से 5/0	3.00
71	साखुन सडक से भरतलाव 0/0 से 4/600	2.75
72	दौसा से कुचामन वाया लावण तुगा फागी सांभर सडक 130/0 से 132/200 व 135/700 से 136/800	3.30
73	दौसा से कुचामन वाया लावण तुगा फागी सांभर सडक 137/200 से 139/200 व 139/500 से 140/900	3.40
	कुल योग:-	167.81

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के स्वीकृति क्रमांक 9850 दिनांक 27.07.21, दिशा-निर्देश क्रमांक 9851-52 दि. 27.07.21 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
3. वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं अथवा वे सड़कें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा पेचवर्क से ठीक करने लायक नहीं हैं, उनकी मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
4. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
5. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. कार्यकारी विभाग बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
7. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/ तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
8. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार/विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
9. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
10. कार्यकारी अभिकरण पूर्व के बकाया आक्षेपों की पूर्ति उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के भुगतान से करवाना सुनिश्चित करें।
11. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 11/12/21

क्रमांक/सम/ 2706-12

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. जिला खण्ड- दूदू जयपुर
4. उपखण्ड अधिकारी दूदू
5. तहसीलदार, दूदू/मौजमाबाद
6. विकास अधिकारी, पं.स., दूदू/मौजमाबाद
7. गार्ड फत्रावली।

जिला कलेक्टर,

जयपुर